

29/4/24

उपरोक्त उपा. प्रथम पत्र का हल वाउ
निरस्त होने से यह प्रमाण स्वतः ही प्राप्त
शुद्ध हो गया है। प्रमाण इसी पत्र पर निरस्त
उभय जाता है तथा दि. 15/10/19 को अपि उ.प्र.
निरस्त उभय जाता है पत्रावली नंबर से क
हो

आदेश उपा. गमा

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)